न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-339RAABarmer2024-205RTA223 Tejaram Vs Virdharam etc

तेजाराम पुत्र खरताराम, जाति–जाट, निवासी–मोतीसरा, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. विरधाराम पुत्र चेनाराम,
2. तीजोंदेवी पत्नी तगाराम,
   जातियान–जाट, निवासी–मोतीसरा, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।
3. श्रीमान तहसीलदार–सिणधरी, जिला–बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर सिणधरी राजस्व मूल वाद संख्या 61/2021 विरधाराम बनाम तेजाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 61/2021 अनवान विरधाराम बनाम तेजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मोतीसरा के खसरा संख्या 231 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 232 रकबा 11.6658 हैक्टेयर कुल रकबा 11.7224 हैक्टेयर आयी हुई है। विवादित भुमि वादीगण/उतरदाता संख्या 1 का 2/3 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी/अपीलांट का बनता है, इसी माफिक वादीगण व प्रतिवादी काबिज है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा करवाना चाहता है। अंत में वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जून 2024 को वाद एवं कांउटर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2024 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलान्ट पर सम्मन की सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी गई तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त न तो तहसीलदार सिणधरी मौके पर आये तथा न ही मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखा गया है। विभाजन प्रस्ताव आर आई पायलां कलां के द्वारा दिनांक 26.09.2024 को बनाया गया, जिस समय वादीगण भी स्वयं मौके पर हाजिर नही हुए अर्थात उक्त मौका रिर्पोट वादीगण व तहसीलदार की गैर मौजुदगी में तैयार की गई और प्रतिवादी को भी सूचना नही दी गई और उक्त मौका फर्द पर प्रतिवादी व मौतबीरान के हस्ताक्षर नही है और जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया वह मौके व कब्जे काश्त के अनुसार नही है। विभाजन प्रस्ताव में वादीगण को जिस जगह पर भूमि दी गई है, उस स्थान पर प्रतिवादी का ही कब्जा है तथा वहां पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त, पानी का टांका व बाड़ आदि बनाई हुई है। अपीलांट की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 24–10–2024 को ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपतियों का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना नियम विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 61/2021 अनवान विरधाराम बनाम तेजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2024 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश जारी किये जावे कि विचारण न्यायालय तहसीलदार सिणधरी से उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा विचारण न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में पुनः विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट सहित सभी पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित किया गया है तथा अपीलांट वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके पर उपस्थित रहा है, किंतु उसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इंकार किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तथा मौके पर सभी पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियो का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट बंटवाड़ा नहीं चाहता है, इस कारण उसके द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.09.2024 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट सहित उभय पक्षकारान् को दिनांक 16.08.2024 का रजिस्डर्ट नोटिस जारी किये जाने प्रकट होते है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को निस्तारण करते हुए विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 61/2021 अनवान विरधाराम बनाम तेजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2024 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर